श्रीधर सी० भा०प्र०से० जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा दिनांक 22.09.2012 को पर्यवेक्षण गृह, बेतिया का किए गए निरीक्षण की टिप्पणी :–

1.0 भवन :–

पर्यवेक्षण गृह, बेतिया शहर के छावनी माहल्ले में किराये के दो मंजिले मकान के 10 कमरे में संचालित है। उक्त भवन में दो शौचालय, एक चापाकल उपलब्ध है। भवन में निम्नांकित कार्य कराने की आवश्यकता है :–

1. भवन के अंदरूनी भाग की रंगाई–पुताई।
2. विभिन्न ग्रीलों की बेल्डिंग।

उपरोक्त दोनों कार्य हेतु अनुमानित लागत की विवरणी अधीक्षक–सह–सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग तैयार कराकर 2 अक्टुबर, 2012 से पूर्व पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य में लागत की राशि को मकान मालिक को देय मासिक किराये से समायोजित किया जायेगा।

वर्तमान में जे0जे0बी0 व्यवहार न्यायालय, बेतिया परिसर में संचालित है जो नियम संगत नहीं है। अधीक्षक के द्वारा पर्यवेक्षण गृह भवन के सड़क के दूसरी तरफ नया निर्मित भवन को दिखाया गया। भवन अच्छी हालत में है। निदेश दिया गया कि उक्त भवन के मालिक से बात कर नियमानुसार अविलम्ब जे0जे0बी0 कार्यालय का संचालन सुनिश्चित करेंगे। निरीक्षण के क्रम में चहारदीवारी क्षतिग्रस्त पाया गया। मरम्मति कराकर मकान मालिक को भुगतेय किराया से मरम्मति की राशि का समायोजन करने का निदेश, अधीक्षक, पर्यवेक्षण गृह को दिया गया।

2.0 स्थापना :–

क्र0	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
1	अधीक्षक	1	–	अतिरिक्त प्रभार में।
2	उपाधीक्षक	1	–	अतिरिक्त प्रभार में।
3	गृहपति सह लिपिक	1	–	
4	शारीरिक अनुदेशक	1	–	
5	रसोइया	1	1	प्रतिनियुक्ति पर
6.	चपरासी	1	1	
7	लेखपाल सह भंडारपाल	1	1	अनुबंध पर
8	शिक्षक	2	–	
9	अंशकालिन चिकित्सक	1	–	
10	स्वीपर	1	1	

3.0 विद्युत आपूर्ति :–

निरीक्षण के समय बताया गया कि स्थानीय ट्रांसफर्मर जलने के कारण बिजली की व्यवस्था नहीं है। कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल को निदेश दिया गया कि प्राथमिकता के आधार पर ट्रांसफर्मर बदलने की कार्रवाई सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन देंगे।

भवन के अंदर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने हेतु यह उचित होगा कि सोलर लैन्टर्न की व्यवस्था की जाय। इस निमित ब्रेडा/बेल्ट्रॉन की दर पर 10 सोलर लैन्टर्न क्रय कर उपलब्ध कराने हेतु आवंटन की मांग करने का निदेश दिया गया। साथ ही जिला योजना कार्यालय को सोलर पावर पैक की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई करने के लिए अनुरोध पत्र भेजने का निदेश दिया गया।

4.0 पूर्व निरीक्षण :–

पर्यवेक्षण गृह, बेतिया का पूर्व में जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिम चम्पारण द्वारा दिनांक 01.05.12 को अपराह्न 5 बजे पर्यवेक्षण गृह बेतिया का निरीक्षण किया गया। माननीय न्यायाधीश द्वारा निरीक्षण के क्रम में दिये गए निरीक्षण टिप्पणी पर अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्रांक 235 दिनांक 04.08.12 द्वारा समर्पित कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को पर्यवेक्षण गृह, बेतिया में प्रधान सदस्य किशोर न्यायपरिषद् द्वारा लोक अदालत लगाया जाता है जिसमें आवासी के वाद से संबंधित विषय पर चर्चा की जाती है एवं आवासी की समस्या का निदान किया जाता है।

5.0 भोजन की व्यवस्था :–

मेनु के अनुसार आवासी को दिन में दो बार भोजन एवं दो बार नाश्ता दिया जाता है। इन्हें सप्ताह में एक दिन मांस, अंडा खाने में दिया जाता है। इसके अतिरिक्त वर्ष में विशेष अवसर पर चार बार विशेष भोजन दिया जाता है।

6.0 चिकित्सा की सुविधा :–

प्रतिनियुक्त चिकित्सक का स्थानान्तरण हो जाने क कारण वर्तमान में कोई चिकित्सक प्रतिनियुक्त नहीं है। जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण के पत्रांक 219 दिनांक 21.07.12 द्वारा सिविल सर्जन पश्चिम चम्पारण को अंशकालिन चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति पर्यवेक्षण गृह में करने हेतु निदेशित किया गया था। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 256 दिनांक 24.08.12 द्वारा स्मार पत्र भेजा गया है। सिविल सर्जन को अविलम्ब चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित कर अनुपालन प्रेषित करने का निदेश दिया गया।

7.0 आवासी के लिए वस्त्र की व्यवस्था :–

पर्यवेक्षण गृह के आवासी को पोशाक मद में निम्नांकित सामग्रीयां उपलब्ध कराया जाता है :–

1.	शर्ट	–	2 प्रतिवर्ष	6.	जॉधिया	–	2 प्रतिवर्ष
2.	पैंट	–	2 "	7.	स्वेटर	–	2 "
3.	कुर्ता	–	2 "	8.	तौलिया	–	1 "
4.	पैजामा	–	2 "	9.	चप्पल	–	1 जोडा "
5.	गंजी	–	2 "	10.	जूता–मोजा	–	2 "

इसके अतिरिक्त प्रत्येक आवासी को प्रतिमाह तेल, सोडा, साबुन भी उपलब्ध कराया जाता है, बताया गया।

8.0 पठन–पाठन की व्यवस्था :–

दिनांक 06.09.12 से श्रीमती मीनू कुमारी, सरकारी शिक्षिका की प्रतिनियुक्ति पर्यवेक्षण गृह के आवासी को पढाने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण द्वारा की गयी है। निरीक्षण के समय उपस्थित पायी गयीं। वे प्रतिदिन बच्चों को पढाती हैं। आवासी को वर्ग 1 से वर्ग 10 तक की पुस्तकें एवं अन्य पठन–पाठन सामग्री उपलब्ध कराया जाता है।

9.0 पुस्तकालय की व्यवस्था :–

पाठ्य–पुस्तक के अतिरिक्त आवासी के बौद्धिक विकास के लिए पुस्तकालय की सुविध उपलब्ध है जिसमें कुल 87 पुस्तक उपलब्ध है। ये पुस्तकें आवासी को पढ़ने हेतु दिया जाता है, वे पुस्तक को पढकर पुनः पुस्तकालय को वापस कर देते हैं।

10.0 मनोरंजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम :–

मनोरंजन हेतु एक हारमोनियम, ढोलक, झाझ इत्यादि पर्यवेक्षण गृह में उपलब्ध पाया गया। यह बताया गया कि इन वाद्य यंत्रां से आवासी अपना मनोरंजन करते हैं। संगीत शिक्षक के संबंध में पृच्छा किए जाने पर यह बताया गया कि वर्तमान में अनुपलब्ध है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक संगीत शिक्षक की प्रतिनियुक्ति एक सप्ताह के अंदर सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। यह भी बताया गया कि इसके अतिरिक्त बच्चों को खेल–कूद की सामग्री जैसे – कैरमबोर्ड उपलब्ध करया जाता है।

11.0 सुरक्षा व्यवस्था :–

पर्यवेक्षण गृह की सुरक्षा व्यवस्था हेतु चार सुरक्षा कर्मी प्रतिनियुक्त रहते हैं। ये पर्यवेक्षण गृह में ही आवासन करते है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से चहारदीवारी की मरम्मति अविलंब कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

12.0 पंजी का संधारण :–

आवासी के लिए प्रवेश रजिस्टर, उनकी हाजिरी हेतु हाजिरी रजिस्टर का संधारण पर्यवेक्षण गृह में किया जाता है। आगन्तुकों के लिए मुलाकाती रजिस्टर का संधारण होता है। इसके अतिरिक्त आगत और निर्गत पंजी का संधारण होता है। पर्यवेक्षण गृह के प्रत्येक व्यय हेतु अभिश्रव की प्रविष्टि डाइट रजिस्टर एवं स्टॉक रजिस्टर में किया जाता है जिसकी जांच उपाधीक्षक एवं लेखापाल–सह–भण्डार पाल द्वारा किया जाता है।

13.0 लेखा संधारण :–

आवंटन पंजी एवं रोकड़ बही का संधारण जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पश्चिम चम्पारण के कार्यालय में किया जाता है। समाज कल्याण निदेशालय, पटना से मदवार प्राप्त आवंटन के अंतर्गत ही पर्यवेक्षण गृह से संबंधित व्यय किया जाता है।

13.1 वर्ष 2011–12 का लेखा :–

वर्ष 2011–12 में प्राप्त आवंटन व्यय एवं प्रत्यार्पण की राशि निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय पटना को इस कार्यालय के पत्रांक 504 दिनांक 30.03.12 द्वारा भेजी गयी है एवं वर्ष 12–13 का मांग संबंधित बजट इस कार्यालय के पत्रांक 49 दिनांक 09.04.12 द्वारा सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, पटना को भेजा गया है।

13.2 वर्ष 2012–13 का लेखा :–

निदेशक, समाज कल्याण विभाग (निदेशालय) पटना के पत्रांक 60 दिनांक 26.07.12 द्वारा पर्यवेक्षण गृह के भोजनादि मद में आठ माह का आवंटन दिया गया है इसके विरूद्ध मार्च 12 से जुलाई 12 तक 3,59,548 रूपये व्यय हो चुका है। निदेशक, समाज कल्याण विभाग (निदेशालय) के पत्रांक 41 दिनांक 24.08.12 द्वारा स्थापना मद में आवंटन प्राप्त हुआ है। कर्मियों के बकाये वेतन/मानदेय भुगतान हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार, पश्चिम चम्पारण में भेजा जा रहा है।

14.0 आवासियों की विवरणी :–

निरीक्षण की तिथि को कुल 32 आवासी पाए गए जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–

क्र	बच्चे का नाम	पिता का नाम	पता	पर्यवेक्षण गृह में आने की तिथि	शैक्षणिक स्थिति	उम्र
1	2	3	4	5	6	7
1	मौसम गिरि	दिनेश गिरि	बेतिया	11.03.2012	9वां	15
2	अरविन्द गिरि	कृष्ण मोहन गिरि	बेतिया	11.03.2012	10वां	15
3	विवेक गिरि	जटाशंकर गिरि	पूर्वी चम्पारण	09.01.2012	7वां	14
4	अनीश कुमार	रामलखन सिंह	बगहा–1	21.12.2011	8वां	14
5	किशन कुमार	प्रदीप प्रसाद	बगहा–1	21.12.11	7वां	14
6	कुंदन कुमार तिवारी	बालेश्वर तिवारी	बेतिया	01.09.12	इंटर	17
7	सौरभ कुमार	प्रमोद कुमार श्रीवास्तव	मोतिहारी	04.09.12	मैट्रिक	16
8	संदीप यादव	बहादुर यादव	बेतिया	15.05.12	8वां	17
9	मनोज दास	गुलन दास	मझौलिया	04.07.12	10वां	17
10	मुकेश सहनी	सुरेश सहनी	मोतिहारी	15.07.12	मैट्रिक	17
11	मंटु लाल श्रीवास्तव	बालेश्वर श्रीवास्तव	रामनगर	27.03.12	7वां	16
12	विश्वजीत दास	सुनील दास	बेतिया	10.06.12	प्रारंभिक ज्ञान	16
13	श्याम कुमार	बीरबल मुखिया	नरकटियागंज	07.07.12	3रा	13
14	जुहीआ	मो0 जमशेद	रक्सौल	21.07.12	प्रारंभिक ज्ञान	16
15	ओमप्रकाश कुमार	रामजी प्रसाद	पूर्वी चम्पारण	23.08.12	प्रारंभिक ज्ञान	14
16	अक्षय कुमार	गुमटी शर्मा	नरकटियागंज	14.08.12	प्रारंभिक ज्ञान	16

17	संजीव कुमार	वैद्यनाथ प्रसाद	मोतिहारी	25.08.12	5वां	15
18	गोविंद सहनी	दुखी सहनी	बगहा–1	25.04.12	प्रारंभिक ज्ञान	13
19	श्याम कुमार राम	भरत राम	नरकटियागंज	09.08.12	मैट्रिक	15
20	लोकेश कुमार सिंह	गोपाल सिंह	पूर्वी चम्पारण	17.09.12	6ठा	17
21	खेखरू महतो	विशनु महतो	बेतिया	21.09.12	प्राथमिक ज्ञान	16
22	मोकिम मियां	अकबर मियां	बेतिया	21.09.12	प्रा0 ज्ञान	12
23	मो0 नवाब	बदरूद्दीन मियां	बेतिया	23.08.12	मैट्रिक	15
24	रविरंजन	रामप्रवेश सिंह	ढाका	11.08.12	10वां	16
25	मो0 मुस्ताक गद्दी	सुबेदार गद्दी	बलथर	20.06.2012	9वां	17
26	संजय सहनी	खैरू सहनी	सीतामढ़ी	08.09.12	8वां	17
27	रौशन कुशवाहा	भोला कुशवाहा	धनहा	11.09.12	प्रा0 ज्ञान	17
28	राज पाण्डेय	नरेन्द्र पाण्डेय	मझौलिया	30.05.12	मैट्रिक	17
29	मुकेश कुमार	छोटेलाल पड़ित	शिकारपुर	09.08.2012	7वां	17
30	दिवाकर सिंह	चुमन सिंह	चनपटिया	08.09.12	10वां	16
31	मनि पासवान	सुमेर पासवान	मोतिहारी	17.06.12	4था	10
32	मंटु कुमार	झगरू पाल	नौतन	13.03.12	4था	16

15.0 आवासी का उम्र सत्यापन :–

यह बताया गया कि मंडल कारा, बेतिया से हाल ही में कुल 12 बाल बंदियों को पर्यवेक्षण गृह भेजा गया है जिसकी उम्र सत्यापन कराने की आवश्यकता है। अतः निम्नांकित आवासी का उम्र सत्यापन कराने का निदेश दिया गया :–

क्र	बच्चे का नाम	पिता का नाम	पता	पर्यवेक्षण गृह में आने की तिथि	शैक्षणिक स्थिति	उम्र
1	2	3	4	5	6	7
1	कुंदन कुमार तिवारी	बालेश्वर तिवारी	बेतिया	01.09.12	इंटर	17
2	सौरभ कुमार	प्रमोद कुमार श्रीवास्तव	मोतिहारी	04.09.12	मैट्रिक	16
3	संदीप यादव	बहादुर यादव	बेतिया	15.05.12	8वां	17
4	मनोज दास	गुलन दास	मझौलिया	04.07.12	10वां	17
5	मुकेश सहनी	सुरेश सहनी	मोतिहारी	15.07.12	मैट्रिक	17
6	रविरंजन उर्फ गोलू	रामप्रवेश सिंह	ढाका	11.08.12	10वां	16
7	मो0 मुस्ताक गद्दी	सुबेदार गद्दी	बलथर	20.06.2012	9वां	17
8	संजय सहनी	खैरू सहनी	सीतामढ़ी	08.09.12	8वां	17

9	रौशन कुशवाहा	भोला कुशवाहा	धनहा	11.09.12	प्रा0 ज्ञान	17
10	राज पाण्डेय	नरेन्द्र पाण्डेय	मझौलिया	30.05.12	मैट्रिक	17
11	मुकेश कुमार	छोटेलाल पड़ित	शिकारपुर	09.08.2012	7वां	17
12	दिवाकर सिंह	चुमन सिंह	चनपटिया	08.09.12	10वां	16
13	मनि पासवान	सुमेर पासवान	मोतिहारी	17.06.12	4था	10
14	मंटु कुमार	झगरू पाल	नौतन	13.03.12	4था	16

पुलिस अधीक्षक, बेतिया/बगहा से अनुरोध किया गया कि पर्यवेक्षण गृह में आवासी बच्चों से संबंधित मामलों का अनुश्रवण कर निष्पादन की दिशा में कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

(श्रीधर सी०)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक ..../गो0, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– अधीक्षक/उपाधीक्षक, पर्यवेक्षण गृह, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला शिक्षा पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, बेतिया/जिला योजना पदाधिकारी, प0 चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, बेतिया/बगहा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ प्रेषित।

(श्रीधर सी०)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक ..../गो0, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निदेशक, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(श्रीधर सी०)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।